न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या 228/2017

1–रिद्धकरण पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी जायल तह.जायल जि. नागौर।
2–गुलाराम पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी जायल तह. जायल जि.नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– राधाकिशन पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
2– रामाकिशन पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
3– पन्नाराम पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
4– भंवरी पत्नि जेठाराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
5– गीता पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
6– शान्ति पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
7– मनुडी पुत्री जेठराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
8– छोटी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
9– पांची पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
10– रामेश्वरी पत्नि गोरधनराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।
11– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय

उपस्थित अधिवक्ता
1 श्री अम्बालाल पाराशर वादीगण की ओर से।
2 श्री योगेश शर्मा प्रतिवादी सं. 01 से 10 की और से।

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

दिनांक 28.03.18

वाद वादीगण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 01 से 02 व प्रतिवादी सं. 01 से 10 के सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 628 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 750 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी मौजा जायल तहसील जायल में आयी हुई है। वादग्रस्त खेताय में दर्ज खातेदारी में खातेदार गेंदाराम पुत्र नारायण का स्वर्गवास हो गया है जिन के पिछे उन के विधिक उत्तराधिकरीयों को प्रतिवादी सं. 4 से 9 पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने यह वाद पेश कर निवेदन किया कि वाद के पेरा संख्या 2 के उप पेरा सं. 1 से 2 के अनुशार वाद को डिकी किया जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 01 से 10 की और से वकील योगेश शर्मा ने वकालतनाम पेश कर इन की पहचान देकर इन की ओर से राजीनाम मय ईकबाली जबाब पेश किया तथा साथ में पक्षकारान द्वारा किये गये इकतर्कनामा को पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पक्षकारान में राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु राय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्तओं वकील वादी व वकील प्रतिवदी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र में अंकित ईस्तदुआ के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिकी किये जाने का अनुरोध किया। वकील प्रतिवादी ने राजीनामा के अनुशार वाद को निर्णित करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :–

1– वादी सं. 01 व 02 के हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 628 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण व खेत खसर नम्बर 750 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 09 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी उत्तरी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

2- प्रतिवादी सं. 01 व 03 व 10 के हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 750 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 03 बीघा 06 बिस्वा दक्षिणी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 28.03.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल

Scanned by CamScanner